

an>

Title: Introduction of Compulsory Periodical Desiltation of Dams, Reservoirs Rivers Bill, 2021

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बांध जलाशयों, नदियों और ऐसे अन्य जल निकायों के अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन और जल निकायों की जल धारण क्षमता को बढ़ाने तथा जल के सुप्रवाह को सुनिश्चित करने जिससे बाढ़ की घटनाओं में कमी आएगी, के लिए देश में ऐसे जल निकायों व समयोचित और आवधिक गाद निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना द्वारा एक संस्थागत व्यवस्था और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

***m02 HON. CHAIRPERSON:** The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory periodical desiltation of dams, reservoirs, rivers and such other water bodies and an institutional mechanism by establishing a National Authority to ensure timely and periodical desiltation of such water bodies in the country to increase their water holding capacity and ensure smooth flow of water which will reduce the incidence of floods and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. निशिकांत दुबे: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।
